

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1982/पौष 10, 1904
No. 393] NEW DELHI FRIDAY, DEC 31, 1982/PAUSA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रख्या गी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1982

सं. 290/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 776(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और
नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना सं. 285/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1982 की
अधिकांश करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की मद सं. 1 की उप-मद

(1) के अन्तर्गत जान वाली और मूल्य के अनुसार शुल्क से प्रभाव्य चीनी का टैरिफ मूल्य तीन सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल नियत करती है।

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बात, केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अधीन ठिकाना किए जाने की अपेक्षा करती है।

2 यह अधिनियम 1 जनवरी, 1983 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 290/82-क.उ.शु. 'फा' सं. 7/1/82-कें.उ.शु.-1]

आर. देव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1982

No. 290/82—CENTRAL EXCISE

G.S.R. 776(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 290/82-Central Excise, dated the 1st December, 1982, the Central Government hereby fixes a tariff value of three hundred and fifty rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2 This notification shall come into force on the 1st day of January, 1983.

[No. 290/82 (C.E.) (F. No. 7/1/82 CX.1.)]

R. DEB, Under Secy